महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 01—02—2014 की कार्यवृत्त

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 01—02—2014 को अपराह्न 03:30 बजे माननीय कुलपति जी अध्यक्षता में पंत प्रशासनिक भवन स्थित डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति कक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1.	डॉ0 पृथ्वीश नाग, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 मंजुला चतुर्वेदी, संकायाध्यक्ष, मानविकी संकाय	–	सदस्य
3.	प्रो0 लक्ष्मी दूबे, संकायाध्यक्ष, समाजकार्य संकाय	–	सदस्य
4.	प्रो0 के0के0 अग्रवाल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय	–	सदस्य
5.	प्रो0 कल्पलता पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र संकाय	–	सदस्य
6.	डॉ0 सुरेन्द्र बहादुर सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	–	सदस्य
7.	प्रो0 सत्या सिंह, संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय	–	सदस्य
8.	डॉ0 आर0पी0सिंह, संकायाध्यक्ष, छात्रकल्याण संकाय	–	सदस्य
9.	डॉ0 रामजियावन सरोज, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, नौगढ़, चन्दौली	–	सदस्य
10.	डॉ0 काशीनाथ सिंह, अध्यक्ष, सम्बद्ध महाविद्यालय, अध्यापक संघ	–	विशेष आमंत्रित
11.	डॉ0 वीरेन्द्र सिंह, महामंत्री, सम्बद्ध महाविद्यालय, अध्यापक संघ	–	विशेष आमंत्रित
12.	डॉ0 साहब लाल मौर्य, कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य–सचिव
13.	श्री शेषनाथ पाण्डेय, उपकुलसचिव, परीक्षा सामान्य		
14.	श्री शमीम अहमद खाँ, उपकुलसचिव, अनुचित साधन प्रकोष्ठ		

बैठक में अधोलिखित निर्णय लिए गए :–

1. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 24—12—2013 की कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार।

निर्णय :– परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 24—12—2013 की कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

2. **(क).** परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 24—12—2013 के निर्णय संख्या–02(ख) के अनुसार शोधार्थियों को दीक्षान्त समारोह–2013 में शोध उपाधि प्रदान किए जाने की सूचना।

निर्णय :– दीक्षान्त समारोह 2013 में अधोलिखित शोधार्थियों को शोध उपाधि प्रदान किये जाने की सूचना अंकित की गयी :–

विषय :– हिन्दी

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्री विनय कुमार चौबे VINAY KUMAR CHAUBEY	प्रो0 श्रद्धानन्द	हिन्दी ललित निबन्ध की परम्परा और विद्यानिवास मिश्र	08—02—2013
2.	सुश्री सम्वृता उपाध्याय SAMBRITA UPADHYAY	प्रो0 श्रद्धानन्द	उत्तरशती के हिन्दी उपन्यासों में दृष्टि–वैविध्य (सन् 1990 के उपरान्त)	08—02—2013

विषय :– उर्दू

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्री इरफान अहमद IRFAN AHAMAD	प्रो0 रफी उल्लाह अंसारी	अली सरदार जाफरी–शख्सियत व शायरी	26–12–2013
2.	मु0निजामुद्दीन MD. NIZAMUDDIN	प्रो0 रफी उल्लाह अंसारी	उर्दू नात गोई और अहमद रज़ा खॉ बरेलवी की नात निगारी	27–12–2013

विषय :– समाजशास्त्र

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्रीमती कुष्माण्डा देवी KUSHMANDA DEVI	डॉ0 पुरूषोत्तम पाण्डेय	महिलाओं की शिक्षा का उनके प्रजनन व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का एक समाजशास्त्री अध्ययन	26–12–2013
2.	सुश्री प्रीति यादव PREETI YADAV	डॉ0 भारती रस्तोगी	महिलाओं के ह्रासमान लिंगानुपात के सामाजिक–आर्थिक आयाम	26–12–2013

विषय :– विधि

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्री हंसराज HANSRAJ	डॉ0 चतुर्भुजनाथ तिवारी	भारतीय संविधान के अन्तर्गत लोक सेवाओं में अवसर की समानता : ज्वलन्त संवैधानिक बिन्दु	26–12–2013

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 25–10–2013 के निर्णय संख्या–06 में सुश्री सुनिता दीक्षित को हिन्दी विषय के अन्तर्गत शोध उपाधि हेतु स्वीकृत शोध शीर्षक "हिन्दी उपन्यासों में लोक जीवन एवं संस्कृति (सन् 1950 से 1980 तक)" को संशोधित कर शोध समिति में स्वीकृत शीर्षक "हिन्दी उपन्यास में लोक जीवन (सन् 1950 से 1960)" करने का निर्णय लिया।

(ख). विभिन्न विभागों/विषयों में शोध मौखिकी सम्पन्न शोधार्थियों को पी0 एच–डी0 उपाधि प्रदान करने पर विचार

निर्णय :– अधोलिखित शोधार्थियों को शोध उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति की गयी :–

विषय :– संस्कृत

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	सुश्री आकांक्षा शुक्ला AKANKSHA SHUKLA	प्रो0 उमारानी त्रिपाठी	सौन्दर्य लहरी के विशेष सन्दर्भ में शंकराचार्य के स्तोत्र काव्यों का समीक्षात्मक अनुशीलन	10–01–2014
2.	श्री जय शंकर राय JAI SHANKER RAI	प्रो0 बांके लाल मिश्र	राम कथाश्रित साहित्य में रावण : एक परिशीलन	10–01–2014

विषय :– दर्शनशास्त्र

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्री सन्तोष कुमार मिश्र SANTOSH KUMAR MISHRA	डॉ0 विष्णुदत्त पाण्डेय	हेगेल के राजनीतिक दर्शन का अध्ययन	20–01–2014

विषय :– अर्थशास्त्र

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	सुश्री श्वेता अग्रवाल SHWETA AGRAWAL	डॉ0 राजेश पाल	Economic Growth And Inflation Under Second Phase Of Economic Reforms	28–01–2014

विषय :– राजनीति विज्ञान

क्र. सं.	छात्र / छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्री कैरोकान्त उजाला KARO KANT UJALA	डॉ0 राजदेव प्रसाद	प्रथम स्वाधीनता संग्राम (1857) में महिलाओं की भूमिका	11–01–2014

विषय :– समाजकार्य

क्र. सं.	छात्र / छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्रीमती छाया कुशवाहा CHHAYA KUSHWAHA	प्रो0 ए0एस0इनाम शास्त्री	ईट भट्ठों पर कार्यरत आदिवासी महिलाओं की मनोसामाजिक समस्याएँ एवं समाजकार्य हस्तक्षेप	24–01–2014

विषय :– गांधी विचार

क्र. सं.	छात्र / छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	ऋषि कान्त मिश्र RISHI KANT MISHRA	प्रो0 राम प्रकाश द्विवेदी	ग्राम स्वराज की अवधारणा एवं पंचायती राज : एक दार्शनिक अध्ययन	29–01–2014

विषय :– विधि

क्र. सं.	छात्र / छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्री सतीश कुमार मिश्र SATISH KUMAR MISHRA	डॉ0 सुरेन्द्र बहादुर सिंह	भारत में बालश्रम का विधिक प्रतिषेध एवं विनियम : एक सामाजिक एवं विधिक अध्ययन	15–01–2014
2.	सुश्री सरिता गुप्ता SARITA GUPTA	डॉ0 सुभाष चन्द्र सिंह	Child welfare Legislation in India and Their Imlpemention : Problems & Prospects	15–01–2014

विषय :– शिक्षाशास्त्र

क्र. सं.	छात्र / छात्रा का नाम	शोध निर्देशक का नाम	शोध शीर्षक	शोध मौखिकी की तिथि
1.	श्रीमती मीरा पाण्डेय MEERA PANDEY	डॉ0 शैलेन्द्र कुमार वर्मा	महाविद्यालयों में कार्यरत स्थायी अध्यापकों एवं सविदा अध्यापकों के कार्य प्रारूप एवं कार्य संतुष्टि का अध्ययन	09–01–2014
2.	श्री अमित जोशी AMIT JOSHI	प्रो0 एम0के0 दास	पालि त्रिपिटकों एवं अट्ठकथाओं पर आधारित बौद्ध पाठ्चर्या में निहित व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी विचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन	22–01–2014

3. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 25–10–2013 के निर्णय संख्या–02 के निर्णयानुसार उपसमिति द्वारा उड़ाका दल एवं केन्द्राध्यक्ष हेतु निर्धारित गाइडलाइन (दिशा–निर्देश) पर विचार।

निर्णय :– उड़ाका–दल एवं केन्द्राध्यक्ष हेतु समिति द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश (Guideline) कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार की गयी है।

<u>वार्षिक / सेमेस्टर परीक्षाओं में परिसर / सम्बद्ध महाविद्यालयों के केन्द्राध्यक्षों के लिए आवश्यक निर्देश</u>

1. परीक्षा को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर विश्वविद्यालय केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति करता है। केन्द्राध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि विश्वविद्यालय के आदेशों का पालन करते हुए अपने परीक्षा केन्द्र पर नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न करायें तथा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त

उड़ाकादल को जाँच कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें, अन्यथा केन्द्राध्यक्ष को हटा कर दूसरा केन्द्राध्यक्ष/पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सकता है।

2. प्रश्न पत्र प्राप्त होते ही, प्राप्त प्रश्न पत्रों की संख्या तथा सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या का मिलान तिथिवार, प्रश्न पत्रवार अवश्य कर लिया जाय। यदि प्रश्न पत्र कम है तो वाहक भेज कर प्रश्न पत्र प्राप्त कर लिया जाय तथा प्रश्न पत्रों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित स्थान में रखा जाय।

3. परीक्षा से आधे घण्टे पूर्व तीन पर्यवेक्षकों (केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/कक्ष निरीक्षक) के समक्ष प्रश्न पत्र का लिफाफा खोला जाय तथा प्रश्न पत्र खोलने हेतु अंकित निर्देश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. केन्द्राध्यक्ष को परीक्षा अवधि में मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रयोग करने का अधिकार होगा तथा परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्र पर प्रबन्धक/प्रबन्धतंत्र का प्रवेश निषेध है।

(a). केन्द्राध्यक्ष 20 परीक्षार्थियों पर एक कक्ष निरीक्षक तथा एक कक्ष में कम से कम 02 कक्ष निरीक्षक नियुक्त करेगा।

(b). केन्द्राध्यक्ष परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति मानक के अनुसार करेगा।

5. परीक्षा के आधे घण्टे पूर्व मात्र परीक्षार्थी ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करेंगे। परीक्षार्थियों की परीक्षा केन्द्र पर गहन तलाशी ली जाय जिसमें आन्तरिक उड़ाकादल/कक्ष निरीक्षक अपना सहयोग प्रदान करेंगे। परीक्षा केन्द्र में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा तथा उन्हें परिसर से 200 मीटर की दूरी पर रहना होगा।

6. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा अवधि में परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र के अतिरिक्त हस्तलिखित या मुद्रित सामग्री, मोबाइल, कैलकुलेटर, असलहा तथा अन्य किसी भी प्रकार की अवैध सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। **इस सम्बन्ध में उड़ाका दल को दिए गए निर्देशों को भी समस्त केन्द्राध्यक्ष भली–भॉति पढ़ लें, तद्नुसार उड़ाका दल को सहयोग प्रदान करें। अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।**

7. परीक्षा प्रारम्भ होने के आधे घण्टे विलम्ब से यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा देने आता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है परन्तु आधे घण्टे के बाद किसी परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में परीक्षा के दौरान यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा अनुचित साधन का प्रयोग किया जाता है तो विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश के तहत अनुचित साधन प्रयोग की कार्यवाही की जाय। यदि प्रकरण गम्भीर प्रकृति का है और सम्बन्धित छात्र/छात्रा द्वारा अध्यापक को डराने–धमकाने का कार्य एवं अभद्र व्यवहार किया गया है तो अनुचित साधन के साथ–साथ सुसंगत विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

9. नकल में आरोपित छात्रों से पकड़ी गई उत्तर पुस्तिका को लेकर पुनः 'अ' उत्तर पुस्तिका दी जाय तथा परीक्षा समाप्त होने पर नकल में पकड़ी गई उत्तर पुस्तिका तथा पुनः दी गई 'अ' उत्तर पुस्तिका दोनों उत्तर पुस्तिकाओं को एक साथ नत्थी कर लिफाफे में सील करने के उपरान्त लिफाफे के उपर अनुचित साधन प्रयोग की उत्तर पुस्तिका तथा कक्षा, विषय, प्रश्न पत्र, छात्रों के अनुक्रमांक, महाविद्यालय का नाम व कोड संख्या, परीक्षा केन्द्र का नाम स्पष्ट रूप में अंकित किया जाय।

10. यदि कोई परीक्षार्थी पुनः 'अ' उत्तर पुस्तिका लेने से मना करता है तो एक ही पकड़ी गई उत्तर पुस्तिका सील कर भेजी जाय तथा उसमें उल्लेख किया जाय कि परीक्षार्थी ने पुनः 'अ' उत्तर पुस्तिका लेने से इंकार किया।

11. अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े गए परीक्षार्थियों का विवरण गोपनीय प्रपत्र KV-8A में बिन्दु संख्या–06 में पकड़े गए छात्र से उसका वक्तव्य अवश्य भराया जाय। यदि परीक्षार्थी इस कालम को भरने से इंकार करता है तो कक्ष निरीक्षक/केन्द्राध्यक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से उस कालम में यह अंकित किया जाय कि परीक्षार्थी ने अपना वक्तव्य देने से इंकार किया। यदि कक्ष निरीक्षक एवं

केन्द्राध्यक्ष द्वारा परीक्षार्थी के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं लिखी जाती है तो उड़ाका दल की संस्तुति ही मान्य होगी।

12. गोपनीय प्रपत्र KV-8A को पूरित करने के पश्चात उत्तर पुस्तिका के साथ बरामद नकल सामग्री का उल्लेख प्रपत्र पर करते हुए नत्थी करें तथा प्रत्येक नकल सामग्री पर केन्द्राध्यक्ष मुहर के साथ हस्ताक्षर करेंगे। छात्र/छात्रा के दोनों उत्तर–पुस्तिकाएं एवं नकल सामग्री एक साथ एक अलग पैकेट में रखकर उनकी सूची कक्षावार, विषयवार, प्रश्नपत्रवार तैयार कर महाविद्यालय के वाहक द्वारा विश्वविद्यालय (उपकुलसचिव–अनुचित साधन प्रकोष्ठ) में अथवा संकलन केन्द्र पर उसी दिन प्राप्त करा दिया जाय।
13. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, कैलकुलेटर पूर्णतया प्रतिबन्धित है। परीक्षार्थियों के पास उपरोक्त यंत्र पाये जाने पर सम्बन्धित परीक्षार्थी को नकल में आरोपित कर उक्त यंत्रो का विवरण गोपनीय प्रपत्र KV-8A भरने के उपरान्त विवाद का निस्तारण होने तक केन्द्राध्यक्ष अपने पास सील करके सुरक्षित रखेंगे।
14. परीक्षा केन्द्र में सामूहिक नकल की सूचना प्राप्त होने पर महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्र को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ ही परीक्षा समिति के निर्णयानुसार आर्थिक दण्ड एवं उनकी शेष परीक्षा विश्वविद्यालय केन्द्र अथवा किसी अन्य केन्द्र पर करायी जा सकती है जिसकी क्षतिपूर्ति सम्बन्धित महाविद्यालय स्वयं वहन करेंगे।
15. परीक्षा को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु आपके जनपद के जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को परीक्षा केन्द्र पर पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। आप अपने स्तर से भी उनसे सम्पर्क कर सुरक्षा बल प्राप्त कर सकते हैं।
16. बण्डल में उत्तर–पुस्तिकाएं अनुक्रमांक के क्रमानुसार रखे जाय। प्रत्येक बण्डल में 100 उत्तर–पुस्तिकाओं पर एक प्रश्न–पत्र अवश्य रखा जाय। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् उत्तर–पुस्तिकाओं के बण्डल प्रत्येक दशा में उसी दिन संकलन केन्द्र को प्राप्त करा दिये जाय।
17. जिन प्राध्यापकों/कर्मचारियों के निकट सम्बन्धी परीक्षा देने हेतु उक्त परीक्षा केन्द्र में सम्मिलित हो रहे हों, उनकी ड्यूटी परीक्षा में न लगायी जाय।
18. उत्तर–पुस्तिकाएं सफेद कपड़े में ही पैक की जाएंगी तथा वैकल्पिक विषयों की उत्तर–पुस्तिकाओं के पैकेट कैच संख्या के अनुसार अलग–अलग तैयार की जाएंगी तथा पैकेट के ऊपर कैच संख्या अंकित किया जाना आवश्यक है। बण्डल के साथ अनुपस्थित परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक एवं अन्य विवरण अवश्य उपलब्ध कराये जाय।
19. जिन परीक्षा केन्द्रों पर एक से अधिक महाविद्यालय सम्बद्ध हैं, उन परीक्षा केन्द्रों के छात्र/छात्राओं को मिश्रित रूप से परीक्षा कक्ष में बैठाया जाय।
20. प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षाएं सम्पन्न होने के पश्चात् उनका अंकपर्ण शीघ्रातिशीघ्र परीक्षा नियंत्रक विभाग को प्राप्त करा दिया जाय।
21. सम्बन्धित विषय के अध्यापक को कक्ष निरीक्षक के रूप में ड्यूटी न लगाई जाय।
22. आवश्यकता पड़ने पर निम्नलिखित दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है :–

    नियंत्रक कक्ष – 0542–2226371 (प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक)

    परीक्षा नियंत्रक – 9415291923

उड़ाका दल के लिए आवश्यक निर्देश

1. आप अवगत है कि परीक्षा को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर विश्वविद्यालय केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति करता है। केन्द्राध्यक्ष का यह दायित्व है कि विश्वविद्यालय के आदेशों का पालन करते हुए अपने परीक्षा केन्द्र पर नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न कराने तथा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त उड़ाकादल को जाँच कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें अन्यथा केन्द्राध्यक्ष को हटा कर दूसरा केन्द्राध्यक्ष/पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सकता है।
2. उड़ाका दल के नामित किसी सदस्य के अनुपस्थित रहने या कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने पर संयोजक किसी अन्य सदस्य को नामित कर सकते है तथा नये सदस्य का नाम कुलपति महोदय से अनुमोदित कराएँ।

3. संयोजक उड़ाकादल कम से कम एक महिला सदस्य को अपने टीम में अवश्य रखे। आवश्यकता पड़ने पर महिला सदस्यों की संख्या बढ़ा सकते है, तथा महिला सदस्य का नाम कुलपति महोदय से अनुमोदित कराएँ।

4. संयोजक उड़ाकादल परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में अपनी गोपनीय आख्या संलग्न प्रोफार्मा पर प्रति सप्ताह उपकुलसचिव (प्रशासन)/परीक्षा नियंत्रक को प्रेषित करेंगे।

5. यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार की अव्यवस्था हो तो संयोजक इसकी सूचना फैक्स या दूरभाष के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक/कुलपति को तुरन्त भेंजे।

6. संयोजक से यह भी आग्रह है कि जिन परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा शुद्धता से चल रही हो तो ऐसे परीक्षा केन्द्रों पर बार–बार न जाकर संवेदनशील/अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर विशेष ध्यान रखें। साथ ही परीक्षा केन्द्रों के बारे में सामूहिक नकल होने की स्पष्ट संस्तुति होनी चाहिए।

(a). उड़ाका दल के सदस्य परीक्षा कक्ष में यदि सामूहिक रूप से नकल करायें जाने अर्थात ब्लैक बोर्ड से लिखवाने अथवा पुस्तक से बोल कर लिखाने की स्थिति से अवगत है तो सामूहिक नकल की जाँच की संस्तुति कर सकते है।

(b). एक परीक्षा कक्ष में अधिकांश परीक्षार्थी नकल सामग्री से नकल करते अथवा अपने पास नकल सामग्री रखे पकड़े जाए जो ऐसी स्थिति में भी समूह में नकल करने/सामूहिक नकल की संस्तुति की जा सकती है।

(c). उड़ाका दल के पहुचने पर यदि परीक्षा केन्द्र का मुख्य गेट बन्द रहता है और शीघ्र खोला नहीं जाता है तथा अन्दर जाने पर नकल सामग्री परीक्षा कक्ष के बाहर फेकी हुई पायी जाती है अथवा परीक्षा केन्द्र के किसी कर्मचारी द्वारा उसे जल्दी–जल्दी इकट्ठा किया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में सामूहिक नकल की संस्तुति की जा सकती है।

7. यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक नकल हो रही हो तो सामूहिक नकल में प्रयुक्त नकल सामग्री को इकट्ठा कर एक पैकेट में सील करके केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर के उपरान्त विश्वविद्यालय को हस्तगत करा दें। यदि परिस्थितियाँ आक्रामक हो तो नकल सामग्री को स्वयं सील कर विस्तृत आख्या के साथ परीक्षा नियंत्रक को हस्तगत करा दें, तथा सम्भव हो तो स्थानीय पुलिस स्टेशन को आक्रामक स्थिति की सूचना लिखित रूप से दे दें।

8. संयोजक उड़ाका दल से आग्रह है कि अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े गए छात्रों की प्रपत्र KV-8A में बिन्दु संख्या–06 में पकड़े गए छात्र से उसका वक्तव्य भराया जाय यदि वह परीक्षार्थी इस कालम को भरने से इंकार करता है तो कक्ष निरीक्षक/केन्द्राध्यक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से उस कालम में यह अंकित किया जाय कि परीक्षार्थी ने अपना वक्तव्य देने से इंकार किया। अन्यथा की स्थिति में उड़ाका दल का रिपोर्ट मान्य होगा।

9. अनुचित साधन प्रयोग में उड़ाका दल द्वारा पकड़ी गई उत्तर पुस्तिका को प्रपत्र KV-8A प्राप्त कर पूरित करने के पश्चात सम्बन्धित केन्द्राध्यक्ष को ही हस्तगत करा देंगे। पकड़ी गई अनुचित साधन सामग्री पर अपना हस्ताक्षर अवश्य करें।

10. उड़ाका दल द्वारा पकड़े गए परीक्षार्थियों का कक्षा/अनुक्रमांक, विषय, प्रश्न पत्र आदि विवरण तिथि सहित संयोजक उड़ाका दल विश्वविद्यालय में उपकुलसचिव, (अनुचित साधन प्रकोष्ठ) को उपलब्ध करायेंगे।

11. उड़ाका दल के सदस्यों को परीक्षा केन्द्र के उपस्थिति पंजिका पर अपनी उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य नहीं होगा।

नोट :– उपरोक्त निर्देशों को समस्त केन्द्राध्यक्ष भली–भॉति पढ़ लें एवं उड़ाका दल के कार्यो में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

अनुचित साधन प्रयोग प्रपत्र

1. परीक्षार्थी का नाम : .... अनुक्रमांक : ....
2. कक्षा / पाठ्यक्रम / विषय : .... प्रश्नपत्र : ....
3. परीक्षार्थी के महाविद्यालय का कोड : .... परीक्षा केन्द्र का कोड : ....
4. परीक्षार्थी का स्थायी पता : ....
   .... सम्पर्क सूत्र : ....
5. कौन सी अवैध / नकल सामग्री बरामद हुई। (विवरण) : ....
   ....
   तिथि : .... समय / पॉली : ....
6. नकल करते हुये पकड़े गये परीक्षार्थी का संक्षिप्त वक्तव्य एवं हस्ताक्षर (अनिवार्य है) : ....
   ....
   ....
   ....
7. परीक्षार्थी से नकल सामग्री पकड़ने वाले कक्ष निरीक्षक / केन्द्राध्यक्ष / आन्तरिक उड़ाका दल / पर्यवेक्षक / वाह्य उड़ाका दल का वक्तव्य एवं हस्ताक्षर : ....
   ....
   ....
   ....

....

हस्ताक्षर – कक्ष निरीक्षक / आन्तरिक उड़ाका दल / केन्द्राध्यक्ष पर्यवेक्षक / वाह्य उड़ाका दल

केन्द्राध्यक्ष का हस्ताक्षर एवं मुहर

(केन्द्राध्यक्ष क्रमांक 8 न भरें)

8. **विषय विशेषज्ञ की आख्या**

क. क्या अवैध / नकल सामग्री विषय / प्रश्नपत्र से सम्बन्धित है ?	....
ख. क्या अवैध / नकल सामग्री से छात्र लाभान्वित हुआ है ? यदि हाँ तो किन–किन प्रश्नों के उत्तर में	....
ग. क्या वह लाभ नहीं उठा सका है परन्तु अवसर मिलता तो इस सामग्री से वह लाभ उठा सकता था यदि हाँ तो किन–किन प्रश्नों में	....

विषय विशेषज्ञ का हस्ताक्षर

(पूर्ण नाम एवं पता सहित)

तिथि : ....

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

प्रारूप

उड़ाका दल द्वारा प्रेषित की जानी वाली आख्या

उड़ाका दल के संयोजक का नाम ....

जोन/जनपद/मुख्यालय.. दिनांक ....

उड़ाका दल द्वारा निरीक्षित परीक्षा केन्द्रों के नाम ....

(एक केन्द्र के लिए एक प्रारूप का ही प्रयोग करें)

क्रमांक	परीक्षा पाली (प्रातः/अपराह्न/सायं)	कक्षा	नकल में पकड़े गए छात्रों के अनुक्रमांक एवं विषय/प्रश्न पत्र	कुल संख्या	अभ्युक्ति

संयोजक का नाम एवं हस्ताक्षर

उड़ाका दल संख्या ....

4. वार्षिक परीक्षा–2014 की समय सारणीय पर विचार।

निर्णय :– वार्षिक परीक्षा–2014 दिनांक 01 मार्च, 2014 से प्रारम्भ करने हेतु समय–सारणी पर सहमति व्यक्त करते हुए लोकसभा के चुनाव के कारण तिथियों में किसी प्रकार के परिवर्तन करने के लिए मा0 कुलपति जी की स्वीकृति से परीक्षा नियंत्रक को अधिकृत किया गया।

5. वार्षिक परीक्षा–2014 हेतु केन्द्र निर्धारण समिति के गठन पर विचार।

निर्णय :– वार्षिक परीक्षा–2014 हेतु केन्द्र निर्धारण के लिए अधोलिखित सदस्यों की समिति गठित की गयी :–

1. प्रो0 के0 के0 अग्रवाल, संकायध्यक्ष–वाणिज्य संकाय
2. डॉ0 उदयन मिश्र, प्राचार्य–श्री बलदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़ागॉव, वाराणसी
3. श्री शेषनाथ पाण्डेय, उपकुलसचिव

उक्त समिति द्वारा सभी सस्तुतियॉ सर्वसम्मत/बहुमत से की जाएगी।

6. वार्षिक परीक्षा–2014 हेतु उड़ाका दल के गठन पर विचार।

निर्णय :– वार्षिक परीक्षा–2014 को नकल विहीन सम्पन्न कराने के लिए उड़ाका–दल के गठन एवं नियंत्रण हेतु अधोलिखित सदस्यों की समिति गठित की गयी :–

1. प्रो0 कल्पलता पाण्डेय, संकायाध्यक्ष–शिक्षाशास्त्र संकाय
2. डॉ0 सुरेन्द्र बहादुर सिंह, विभागाध्यक्ष–विधि विभाग
3. श्री शमीम अहमद खॉं, उपकुलसचिव

उक्त समिति द्वारा सभी सस्तुतियॉ सर्वसम्मत/बहुमत से की जाएगी।

7. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 25–10–2013 के निर्णय संख्या–03 में विवेकानन्द महाविद्यालय, सेमरी, बलिया के सामूहिक नकल से सम्बन्धित परीक्षक की रिपोर्ट पर गठित उपसमिति की जॉच आख्या पर विचारोपरान्त दिनांक 24–12–2013 की परीक्षा समिति के निर्णय संख्या–03 के निर्देशानुसार उड़ाकादल के संयोजक प्रो0 मुन्नीलाल जी से प्राप्त आख्या एवं उपसमिति की जॉच आख्या पर विचार।

निर्णय :– विवेकानन्द महाविद्यालय, सेमरी, बलिया में सामूहिक नकल होने के आरोप में उड़ाकादल द्वारा हस्तगत करायी गयी 35 उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन परीक्षक की आख्या तथा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 25–10–2013 में उक्त महाविद्यालय के सामूहिक नकल से सम्बन्धित प्रकरण की जांच हेतु गठित उपसमिति की जांच आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त बी0ए0 प्रथम खण्ड, समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा पुनः विश्वविद्यालय केन्द्र पर कराने का निर्णय लिया गया।

8. मा0 उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या–45407/2013 एवं 45410/2013 पर पारित आदेश दिनांक 31–10–2013 के अनुपालन में परीक्षा समिति की प्रत्याशा में मा0कुलपति जी द्वारा गठित उपसमिति की जॉच आख्या पर विचार।

निर्णय :– मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31–10–2013 के अनुपालन मे गठित समिति की जांच आख्या को स्वीकार करते हुए बी0ए0 प्रथम खण्ड भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र के अनुक्रमांक–42613100427, 42613100363 एवं बी0ए0 प्रथम खण्ड शिक्षाशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र के अनुक्रमांक–42613100094, 42613100101, 42613100141, 42613100116, 42613100048, 42613100051 एवं 42613100484 की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कराके परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।

9. एम0लिब0आई0एस0सी0 सत्र 2012–13 की मौखिक/डिजर्टेशन में कम अंक प्रदान करने सम्बन्धी छात्रों की शिकायत पर गठित जॉच समिति की आख्या पर विचार।

निर्णय :– एम0लिब0आई0एस0सी0–2013 के छात्रों की शिकायत पर गठित समिति की जांच आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त मौखिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की मौखिकी परीक्षा पुनः कराने की निर्णय लिया गया साथ ही डॉ0 अजय कुमार प्राध्यापक के साथ छात्रों की हुई वार्तालाप के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी सी0 डी0 की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कराके दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

10. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 09–07–2013 के निर्णय संख्या–7(ब), 7(स), 7(द) एवं 14 के सम्बन्ध में गठित जॉच समिति की आख्या पर विचार।

निर्णय :– **(क)** समिति की संस्तुति को यथावत स्वीकार करते हुए परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 09.07.2013 के निर्णय सं0–7(ब) के सम्बन्ध में अधोलिखित निर्णय लिया गया :–

अनुक्रमांक	परीक्षा केन्द्र का नाम व कोड	कक्षा–वर्ष	विषय–प्रश्न पत्र
41313100121	श्रीमती इन्दिरा गांधी राज0 स्नात0 महाविद्यालय, लालगंज, मिर्जापुर (401)	बी0ए0–प्रथम	हिन्दी–द्वितीय
63313100902	श्रीनाथ बाबा महाविद्यालय, इसारी, सलेमपुर, बलिया (633)	बी0ए0–प्रथम	गृह विज्ञान–द्वितीय
23013100487	राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय, कमालपुर, चन्दौली (230)	बी0ए0–प्रथम	गृह विज्ञान–द्वितीय

उक्त उत्तर पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित केन्द्राध्यक्षों से आख्या प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु परीक्षा नियंत्रक को अधिकृत किया गया।

(ख) समिति ने परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 09–07–2013 के निर्णय सं0–7(स) में समन्वयक मूल्यांकन केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई गई एम–एस0सी0 द्वितीय खण्ड वनस्पति विज्ञान तृतीय प्रश्न–पत्र अनुक्रमांक–50413200514 की मूल 'अ' उत्तर पुस्तिका के साथ 06 'ब' उत्तर पुस्तिका संलग्न कर उत्तर लिखा गया है। जिसके सम्बन्ध में परीक्षक ने संदिग्धता व्यक्त किया है। इसकी विषय विशेषज्ञ से जांच कराके तदनुसार कार्यवाही करने हेतु परीक्षा नियंत्रक को अधिकृत किया।

(ग) समिति की संस्तुति को यथावत स्वीकार करते हुए परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 09–07–2013 के निर्णय सं0–7(द) के सम्बन्ध में अधोलिखित निर्णय लिया गया।

अनुक्रमांक	परीक्षा केन्द्र का नाम व कोड	कक्षा–वर्ष	विषय–प्रश्न पत्र
16013100541	स्वामी अतुलानन्द हिन्दू महा0, परमानन्दपुर, शिवपुर, वाराणसी (160)	बी0काम0–द्वितीय	चतुर्थ
63013100910	केशव प्रसाद महा0, ससना, बहादुरपुर, बिल्थरा रोड, बलिया (669)	बी0ए0–प्रथम	हिन्दी–प्रथम
65313100390	गोपाल जी महाविद्यालय, रेवती, बलिया (640)	बी0ए0–द्वितीय	राजनीति विज्ञान–प्रथम
65313100458	गोपाल जी महाविद्यालय, रेवती, बलिया (640)	बी0ए0–द्वितीय	राजनीति विज्ञान–प्रथम

उक्त फटी हुई उत्तर पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में केन्द्राध्यक्ष से आख्या प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु परीक्षा नियंत्रक को अधिकृत किया गया।

(घ) परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 09–07–2013 के निर्णय सं0–14 के सम्बन्ध में गठित उप समिति की अधोलिखित संस्तुति –

"श्री परमेश्वर कुमार मौर्य एम0ए0 प्रथम खण्ड हिन्दी चतुर्थ प्रश्न पत्र हरिश्चन्द्र पी0 जी0 कालेज, वाराणसी अनुक्रमांक–10613200064 की उत्तर पुस्तिका के प्रथम चार पृष्ठों की काली इंक से काटा गया है। परन्तु परीक्षक द्वारा कटिंग के बावजूद भी मूल्यांकन करते हुए कुल–65 अंक प्रदान किया गया है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उत्तर पुस्तिका में परीक्षक ने कुल–06 स्थानों पर पूर्व में दिये गये अंको को काटकर, बढ़ा हुआ अंक प्रदान किया गया है। प्रथम दृष्टया छात्र का यह कथन कि उत्तर पुस्तिकाओं में कुछ प्रश्नों को काटा गया है। सही पाया गया। समिति का अभिमत है कि कटिंग के सम्बन्ध में गोपनीय विभाग द्वारा केन्द्राध्यक्ष से स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जाय।"

उक्त संस्तुति को स्वीकार करते हुए कक्ष निरीक्षक एवं उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने वाले परीक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्तकर एक वर्ष के लिए परीक्षा कार्य से मुक्त रखने का निर्णय लिया गया।

11. वर्ष–2013 में बी0एड0 की मुख्य परीक्षा तथा बी0सी0ए0, बी0बी0ए0, एल0एल0बी0 की सेमेस्टर परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग के आरोपित परीक्षार्थियों (सूची संलग्न) का परीक्षाफल नकल अध्यादेश के आलोक में निरस्त करने पर विचार।

निर्णय :– (क) समिति ने अधोलिखित बी0 एड0 पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं को को अनुचित साधन प्रयोग का दोषी मानते हुए वर्ष–2013 के परीक्षाफल को निरस्त करने का निर्णय लिया :–

जनपद–वाराणसी

1. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (100)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	10013107307	B.Ed.
2.	10013107315	B.Ed.

2. सुधाकर महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खजुरी, पाण्डेयपुर, वाराणसी (113)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	11313103860	B.Ed.
2.	11313103868	B.Ed.
3.	11313103776	B.Ed.

3. ग्राम्यांचल महिला विद्यापीठ, गंगापुर (मंगारी), वाराणसी (116)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	11613101801	B.Ed.

4. जीवनदीप महाविद्यालय, बड़ालालपुर, लमहीं, वाराणसी (132)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	13213101009	B.Ed.

5. जयप्रकाश महाविद्यालय, उमरहां, वाराणसी (139)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	13913102377	B.Ed.

जनपद–चन्दौली

1. लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुगलसराय, चन्दौली (205)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	20513103249	B.Ed.

जनपद–भदोहीं

1. केशव प्रसाद राल्ही महाविद्यालय, औराई, सन्त रविदास नगर, भदोहीं (307)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	30713101903	B.Ed.

जनपद–मिर्जापुर

1. शिवलोक श्रीनेत महाविद्यालय, कपसौर (पड़री), मिर्जापुर (416)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	41613101542	B.Ed.
2.	41613101554	B.Ed.

जनपद–बलिया

1. मुरली मनोहर टाऊन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया (603)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	60313108463	B.Ed.

2. श्री नरहेजी महाविद्यालयय, नरहीं (रसड़ा), बलिया (612)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	61213103905	B.Ed.

3. किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रकासा, रतसर, बलिया (613)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	61313102800	B.Ed.
2.	61313102835	B.Ed.

4. श्री जमुना राम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चितबड़ा गांव, बलिया (618)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	61813102456	B.Ed.

5. दूजा देवी महाविद्यालय, सहतवार, बलिया (620)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	62013101950	B.Ed.

6. श्रीमती फुलहेरा स्मारक महिला स्नातकोत्तर म0वि0, रसड़ा, बलिया (631)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	63113100784	B.Ed.

साथ ही अनुक्रमांक–61313102800 की उत्तर पुस्तिका जिस पर कक्ष निरीक्षक द्वारा यह उल्लिखित है कि नकल सामग्री आज के विषय/प्रश्नपत्र से सम्बन्धित नहीं था। पर बैठक में उपस्थित समिति की सदस्य प्रो0 कल्पलता पाण्डेय–संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय द्वारा परीक्षणोंपरान्त की उक्त नकल सामग्री विषय से सम्बन्धित है के आधार पर उक्त अनुक्रमांक के परीक्षार्थी का परीक्षाफल भी निरस्त करने निर्णय लिया गया।

(ख) समिति ने अधोलिखित बी0बी0ए0/बी0सी0ए0 एवं एल0एल0बी0 सेमेस्टर परीक्षा के परीक्षार्थियों का सम्बन्धित सेमेस्टर की परीक्षा अनुचित साधन प्रयोग का दोषी मानते हुए निरस्त करने का निर्णय लिया :–

जनपद–वाराणसी

1. हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी (106)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	1063052	L.L.B.-IInd
2.	106136124	L.L.B.-IInd
3.	106136233	L.L.B.-IInd
4.	10610100025	L.L.B.-IVth
5.	1063253	L.L.B.-IVth
6.	10610100278	L.L.B.-VIth
7.	1063033	L.L.B.-IVth

2. महाराजा बलवन्त सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गंगापुर, वाराणसी (111)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	1111250	B.C.A.-IInd (Back)

3. सुधाकर महिला विधि महाविद्यालय, खजुरी, पाण्डेयपुर, वाराणसी (127)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	12710028	L.L.B.-IVth

4. लोकबन्धु राजनारायण लॉ कालेज, मोतीकोट, गंगापुर, वाराणसी (131)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	131136022	L.L.B.-IInd
2.	1313929	L.L.B.-IInd
3.	1313884	L.L.B.-IVth
4.	1313873	L.L.B.-IVth
5.	1313938	L.L.B.-IVth

5. आर0एस0 बनारस लॉ कालेज, करमजीतपुर, सुन्दरपुर, वाराणसी (149)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	1494264	L.L.B.-IVth
2.	1494302	L.L.B.-IVth
3.	149136058	L.L.B.-IInd

6. राज स्कूल ऑफ मैनेजमेन्ट साइन्स, सिसवा, बाबतपुर, वाराणसी (168)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	168135009	B.C.A.-IInd
2.	168134009	B.B.A.-IInd

जनपद–भदोहीं

1. रामदेव पी0जी0 कालेज जी0टी0 रोड, जंगीगंज, सन्त रविदास नगर, भदोहीं (306)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	3062352	B.C.A.-IVth

2. ओम उच्च शिक्षा संस्थान गोपीगंज, सन्त रविदास नगर, भदोहीं (312)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	3122473	B.C.A.-IVth

जनपद–मिर्जापुर

1. पुष्पा सिंह विधि महाविद्यालय, बरेवां, चुनार, मिर्जापुर (417)

क्र.सं.	अनुक्रमांक	कक्षा
1.	4175929	L.L.B.-IVth
2.	417136139	L.L.B.-IInd
3.	4176099	L.L.B.-IVth
4.	417136200	L.L.B.-IInd
5.	41710096	L.L.B.-VIth
6.	100097	L.L.B.-VIth

12. एम0ए0 (प्रथम वर्ष) की अंग्रेजी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका क्रमांक–299777, A742421 एवं A556736 में प्रदान किए गए अंको के जोड़ में त्रुटि सम्बन्धी श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय की शिकायत पर परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 24–12–2013 के निर्णय संख्या–11 के निर्णयानुसार मूल्यांकन परीक्षकों से प्राप्त आख्या पर विचार।

निर्णय :– समिति ने विभागाध्यक्ष एवं मूल्यांकन परीक्षकों की आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त तीनों प्रश्न पत्रों में परीक्षक द्वारा अंकपर्ण पर अंकित अंक को ही मान्य करने के साथ परीक्षार्थी द्वारा दावा किये जा रहे अंक को संदिग्ध मानते हुए उक्त कृत्य में संलिप्तता की जांच हेतु अधोलिखित सदस्यों की जांच समिति का गठन किया गया :–

1. प्रो0 मंजुला चतुर्वेदी–संकायाध्यक्ष, मानविकी संकाय – अध्यक्ष
2. डॉ0 आर0 पी0 सिंह–संकायाध्यक्ष, छात्रकल्याण – सदस्य
3. श्री शेषनाथ पाण्डेय–उपकुलसचिव, परीक्षा सामान्य – सदस्य/सचिव

13. श्री सुनील कुमार दूबे बी0ए0 तृतीय खण्ड वर्ष–2013, जी0डी0 बिनानी कालेज, मिर्जापुर द्वारा राष्ट्र गौरव प्रश्न पत्र की बैक परीक्षा–2013 के दिन परिवार में आकस्मिक घटना के कारण छुट जाने के फलस्वरूप पुनः वार्षिक परीक्षा–2014 के साथ बैक पेपर की सुविधा प्रदान किए जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार।

निर्णय :– समिति ने श्री सुनील कुमार दूबे को वार्षिक परीक्षा 2014 में राष्ट्रगौरव प्रश्नपत्र में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान किया।

14. श्री गुरू सम्पद सिंह बी0ए0 तृतीय, भाउराव देवरस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुद्धी, सोनभद्र द्वारा बी0ए0 द्वितीय वर्ष–2012 एवं बी0ए0 तृतीय वर्ष–2013 के परीक्षाफल को संरक्षित रखते हुए बी0ए0 प्रथम खण्ड (वर्ष–2011) के अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र में बैक पेपर

की सुविधा वर्ष–2014 में प्रदान करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :– समिति ने सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं श्री गुरू सम्पद सिंह को बी0ए0 द्वितीय खण्ड वर्ष–2012 एवं बी0 ए0 तृतीय खण्ड वर्ष–2013 के अंकों को संरक्षित रखते हुए वर्ष–2014 की परीक्षा में बी0 ए0 प्रथम खण्ड के सम्पूर्ण प्रश्नपत्रों में परीक्षा देने की अनुमति प्रदान किया।

15. श्री आशिष कुमार तिवारी, बी0ए0 द्वितीय वर्ष, रामदेव पी0जी0 कालेज, जंगीगंज, भदोहीं के बी0ए0 प्रथम वर्ष–2013 एवं बी0ए0 द्वितीय वर्ष–2012 के परीक्षाफल घोषित करने एवं वर्ष–2014 में बी0ए0 तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार।

निर्णय :– श्री आशिष कुमार तिवारी के बी0ए0 प्रथम वर्ष–2013 का परीक्षाफल घोषित करने के साथ ही सम्बन्धित महाविद्यालय से इस आशय का स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय लिया गया कि बी0ए0 द्वितीय वर्ष–2012 में उत्तीर्ण होने के पश्चात बी0ए0 प्रथम वर्ष–2013 का परीक्षा फार्म कैसे अग्रसारित कर दिया गया था।

16. सुश्री निकहत परवीन, बी0ए0 द्वितीय वर्ष, सारनाथ बोधिसत्व महाविद्यालय, मुनारी, वाराणसी के बी0ए0 द्वितीय खण्ड–2013 का परीक्षाफल संरक्षित रखते हुए बी0ए0 प्रथम खण्ड अंग्रेजी द्वितीय प्रश्न पत्र में वर्ष–2014 में बैक पेपर की सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार।

निर्णय :– सुश्री निकहत परवीन की अस्वस्थ्यता को दृष्टि में रखते हुए वर्ष–2014 की वार्षिक परीक्षा के साथ बी0 ए0–प्रथम खण्ड अंग्रेजी विषय में बैक पेपर की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया।

17. श्री प्रशान्त साहू बी0एस0सी0 तृतीय खण्ड वर्ष–2012 हरिश्चन्द्र पी0जी0 कालेज, वाराणसी का अवरूद्ध परीक्षाफल घोषित करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार।

निर्णय :– श्री प्रशान्त साहू बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष–2006 एवं द्वितीय वर्ष–2009 में पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से उत्तीर्ण करने के पश्चात वर्ष–2012 में बी0एस0सी0 तृतीय खण्ड में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की परीक्षा में सम्मिलित हुए किन्तु 02 वर्ष से अधिक का अन्तराल एवं नियमानुसार सम्पूर्ण पाठ्यक्रम 05 वर्ष में पूर्ण न कर पाने के कारण परीक्षा समिति ने श्री साहू की मांग को अस्वीकार कर दिया।

18. श्री राकेश कुमार प्रजापति बी0ए0 तृतीय वर्ष–2012 जी0डी0 बिनानी पी0जी0 कालेज, मिर्जापुर का प्रार्थना राष्ट्र गौरव प्रश्न पत्र की परीक्षा वार्षिक परीक्षा–2014 के साथ देने की मांग पर विचार।

निर्णय :– श्री राकेश कुमार प्रजापति वर्ष–2010 में पूर्वांचल विश्वविद्यालय से भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में बी0ए0 प्रथम खण्ड उत्तीर्ण किया। इसके पश्चात वर्ष–2011 में बी0ए0 द्वितीय खण्ड महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बैक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद भी वर्ष–2012 में बी0ए0 तृतीय खण्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो गए है। श्री तिवारी द्वारा राष्ट्रगौरव प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण होने की सूचना दी गयी है। जबकि ये बी0 ए0–द्वितीय खण्ड में भी अनुत्तीर्ण है। श्री राकेश कुमार प्रजापति की मांग को अमान्य करते हुए परीक्षा समिति द्वारा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित महाविद्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

19. परीक्षा समिति की प्रत्याशा में मा0कुलपति जी द्वारा गठित अधोलिखित अनुचित साधन समिति का अनुमोदन।

1. प्रो0 मंजुला चतुर्वेदी, संकायाध्यक्ष–मानविकी संकाय
2. डॉ0 चतुर्भुजनाथ तिवारी, उपाचार्य–विधि विभाग
3. श्री शमीम अहमद खाँ, उपकुलसचिव–अनुचित साधन प्रकोष्ठ

निर्णय :– मा0 कुलपति जी द्वारा गठित उक्त समिति को अनुमोदन प्रदान किया गया।

20. उदय प्रताप स्वायत्तशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी एवं श्री अग्रसेन कन्या पी0जी0 कालेज, वाराणसी के वर्ष–2011 एवं 2012 की उपाधि निर्गत करने की अनुमति पर विचार।

निर्णय :– परीक्षा समिति द्वारा उदय प्रताप स्वायत्तशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी एवं श्री अग्रसेन कन्या पी0जी0 कालेज, वाराणसी के वर्ष–2011 एवं 2012 की उपाधि उनके द्वारा प्रेषित टेबुलेशन रजिस्टर के आधार पर निर्गत करने हेतु अनुमति प्रदान किया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार :–

21. उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0–रिट168 / सत्तर–1–2013, दिनांक 27.01.2014 के द्वारा याचिका संख्या–52242 / 13, डॉ0 हरेन्द्र कुमार एवं दो अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–01–2014 में मौखिकी / प्रायोगिकी परीक्षाओं के सम्बन्ध पारित अधोलिखित दिशा–निर्देश को परीक्षा समिति द्वारा स्वीकार किया गया :–

1. The team of the Examiners should be sent to the respective Colleges, as a surprise, without disclosing the names of the Examniers to the College concerned in advance. The Vice Chancellor of the University may prepare the list of name of Examiner to be sent or particular College, secretly and confidentially. Call all the Examiners to be present in the University in the morning and thereafter they may be asked to go to the College where they hae to take Examination. The team of the Examiners may be indicated the name of the college where they have to go to take practical Examination only at the time of dispatch of the team.
2. Further, a procedure may be evolved that the names of the candidates should not be kbown to the Examiner and the Examiner may not be allowed to ask the name of the Examinee. The Examinee should be examined/ assessed in the Practical Examination only on the basis of Code Number allotted to him.
3. We also see no justification in making the seniormost teacher of the department of the self-financing College as the Convener of the Board of Examiner. It may lead to serious consequences which may lead to mal practice.
4. Teacher of the same College may not be sent to same College as the Examiner.
5. The team of the Examiners may be asked to give numbers on the date of the Practical Examination itself and the same may be put in a sealed cover.
6. In case if any of the Examiner discloses his own name to the Examinee or asks the name of the Examinee, he may be debarred to be appointed as Examiner in future.
7. A Team of senior Teachers may be constituted to secretly and confidentially watch the whole process of taking examination, which may fuction under the direct control of the Vice Chalcellor and report directly to the Vice Chancellor.

22. के0वी0पी0जी0 कालेज, मिर्जापुर परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में उड़ाका दल की रिपोर्ट पर विचार कर, पुष्पा सिंह विधि महाविद्यालय, बरेवा, मिर्जापुर एवं मथुरा लॉ कालेज, पुरजागिर, मिर्जापुर के एल0एल0बी0 की सेमेस्टर परीक्षा दिनांक 08–02–2014 से विश्वविद्यालय केन्द्र पर कराने का निर्णय लिया गया।

ह0 — **ह0**

परीक्षा नियंत्रक — **कुलपति**

पत्रांक : प0गो0 /   / परीक्षा समिति / 2014   तद् दिनांक :   फरवरी, 2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. माननीय कुलपति जी।
2. परीक्षा समिति के सदस्यगण।
3. वित्त अधिकारी।
4. कुलसचिव।
5. उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य / अनुचित साधन प्रकोष्ठ। ।
6. सहायक कुलसचिव– सम्बद्धता विभाग।
7. अधीक्षक–परीक्षा सामान्य / परीक्षा गोपनीय / समिति अनुभाग।
8. प्रभारी, संगणक केन्द्र को इस आशय से कि विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर सम्बन्धित सूचना को जन साधारण के सूचनार्थ अपलोड कर दें।

परीक्षा नियंत्रक